संख्या-84/1913/47-का-3-2014-9/10/2008टी0सी0।।

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2014**

विषय: स्टेट आफ आर्ट सिग्नेचर बिल्डिंग- डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के प्रस्तावित निर्माणार्थ वास्तुविद फर्म (कन्सल्टेंट्स) के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (ल.अ.-1) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-188/म.प्र.(ल.अ.-1)/कैम्प-सिग्नेचर/रा.नि.नि./2014, दिनांक 24.07.2014, जो आपको भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त वर्णित उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पत्र में वास्तुविद सलाहकार को रू0-30.00 लाख के अंतरिम भुगतान पर विचार करने की संस्तुति की गयी है तथा इतनी धनराशि इस हेतु व्यय करने हेतु अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

3- उक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1/23/47-का-3-2014-9/10/2008टी.सी.।।, दिनांक 03.01.2014 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-15/99/47-का-3-2014-9/10/2008 टी.सी.।।, दिनांक 03.02.2014 तथा शासनादेश संख्या-464/47-का-3-2014-9/10/2008 टी.सी.।।, दिनांक 25.03.2014 के क्रम में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रस्तावित डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के भवन निर्माण के लिए कन्सलटेंसी फीस के निर्धारण हेतु लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-560ई.जी./23-5-13-5-24ई.जी./13, दिनांक 11 जून, 2013 के प्रस्तर-2(1) में सिग्नेचर बिल्डिंग हेतु बाहय वास्तुविद की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का प्राविधान है :-

> "प्रदेश में भवन/ परियोजनाओं हेतु बाहय वास्तुविद की सेवायें लेने पर वास्तुविद को परियोजना लागत का 1.00 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) कन्सलटेंसी फीस के रूप में देय होगा। आर्कीटेक्ट द्वारा परियोजना निर्माण अवधि में कार्य स्थल का निरीक्षण किया जाता रहेगा। स्टक्चरल डिजाइन हेतु 0.5 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) की धनराशि फीस के रूप में देय होगी।"

http://srisamadesh.up.nic.in

4- उक्त प्राविधान के आलोक में तथा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा की गयी संस्तुति पर विचार करते हुए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा बाह्य वास्तुविद की सेवाएं लेने पर अनुमन्य कन्सटेंसी फीस की सीमा में रहते हुए उपरोक्त आदेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-1.00 करोड में से संबंधित वास्तुविद को रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ को नियमानुसार पूर्ण मितव्ययिता बरतते हुए व्यय किए जाने हेतु शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-84/1913/47-का-3-2014-9/10/2008टी0सी0।, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/ द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निमार्ण निगम लि0 लखनऊ को महा प्रबन्धक (लं.अ.-1) के पत्र संख्या-188/म.प्र.(ल.अ.-1)/कैम्प-सिग्नेचर/रा.नि.नि./2014, दिनांक 24.07.2014 के संदर्भ में।
6- मेसर्स आर्कोप एसोसिएट्स प्रा. लि. ई-15-पम्पोस इन्क्लेव ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-48.
7- नियुक्ति अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8- नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://sansadesh.up.nic.in